

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) जैसलमेर
(पीठारीन अधिकारी श्री परसा राम आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या : 22/2024
प्रार्थी

GCMS NO-2024/43
अप्रार्थी

प्रवीण चौधरी, खाद्य सुरक्षा
अधिकारी, कार्यालय मुख्य वनाम
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जैसलमेर।

1. मुकेश कुमार पुत्र सत्यनारायण उम्र 27 वर्ष
निवासी नई बस्ती रामदेवरा मैसर्स
रामदेवरा स्टोर, नाचना रोड रामदेवरा। मो.
9767370786
2. कैलाश चन्द्र पुत्र मोहन लाल उम्र 48 वर्ष
निवासी बार्ड नं. 06 पोकरण मैसर्स विराग
एजेन्सीज, फलसूण्ड रोड, बस स्टैण्ड के
पास पोकरण। 9413012729
3. अशोक भाई नाथा भाई सुखाडिया पुत्र
नाथा भाई सुखाडिया उम्र 48 वर्ष निवासी
पटेल समाज के पास ईस्वारिया मंडावल
विश्वधर जुनागढ गुजरात 362130 मैसर्स
श्री राधे डेयरी फर्म एण्ड फूड लिमिटेड
427/428 स्काई व्यू स्वामी नारायण मंदिर
के पास सगवाडी, वराछा मैन रोड सूरत।
395006

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 उपधारा (11) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011
उपस्थित :-

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जैसलमेर।
2. अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से मुकेश कुमार उपस्थित।

:: निर्णय ::

दिनांक: 11.06.2025

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 26
उपधारा (11) के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध न्याय निर्णयन हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना
पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में
संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 25.08.2024 को दोपहर 2.00 पीएम पर
दौरान निरीक्षणार्थ मैसर्स रामदेवरा स्टोर, नाचना रोड रामदेवरा का निरीक्षण किया। निरीक्षण
के दौरान मैसर्स रामदेवरा स्टोर, नाचना रोड रामदेवरा पर मुकेश कुमार पुत्र सत्यनारायण
उम्र 27 वर्ष निवासी नई बस्ती रामदेवरा (विक्रेता) कारोवार कर रहा था जिसका विक्रेता होना
वताया। उसको अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य अनुज्ञापत्र दिखाने
को कहा तो उसने खाद्य अनुज्ञापत्र व आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत की जिसकी छाया प्रतियां
संलग्न है। प्रार्थी ने मौके पर निरीक्षणार्थ दुकान के अन्दर घी वास्तु रखा मिला जिसके
मिलावट का संदेह होने पर नमूने लेने वास्ते विक्रेता को कहा एवं मौके पर फार्म संख्या 5 ए
की प्रति तैयार कर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर करवाकर फार्म संख्या 5 ए की एक प्रति
मौके पर मालिक विक्रेता को दी और प्राप्ति रसीद ली जो प्रार्थना पत्र में संलग्न है। तत्पश्चात
घी वास्तु 04 किलोग्राम के नमूने वास्ते तोल कर दिया, जिसके पेटे 2000/- रुपये नगद
देकर गवाहन, विक्रेता एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है। खरीद सुदा
घी वास्तु को चार भागों में विभक्त कर चार खाली शिशियों में डाला तथा डालकर चारों
शिशियों को अच्छी तरह से बंद किए। मौके पर लेवल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर
चिपकाएं एवं लेवलों पर डीओ कोड एवं सीरियल नम्बर एन-2038 दर्ज किया। प्रत्येक लेवल
पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाये। और शिशियों को
अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डीओ जैसलमेर की हस्ताक्षर सुधा


न्याय निर्णय अधिकारी
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जैसलमेर

पेपर स्लिप एन-2038 नियमानुसार चारों नमूनों पर नीचे से उपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को पेपर स्लिप उपर धागे से बांधकर नियमानुसार चार-चार जगह ब्रास सील से मोहर चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद्य पदार्थ का विवरण एन-2038 घी वास्तु लिख कर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों भागों को अपने कब्जे में लिया एवं मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहों को मौके पर पढाकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जो उन्होंने पढकर सुनकर समझकर सही मान कर हस्ताक्षर किये एवं मैंने स्वयं ने मौका फर्द पर हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी ने कार्यालय पहुचकर फार्म नम्बर 06 की 06 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील इम्पेशन लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 06 की आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जोधपुर को प्रवीण चौधरी के द्वारा दिनांक 27.08.2024 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म नम्बर 06की प्रति अलग से लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्यविश्लेषक जोधपुर को जमा कराकर फार्म संख्या 06 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियां के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को दिनांक 25.08.2024 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी को डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर के पत्र क्रमांक 150011-12 दिनांक 16.10.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्यसुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला राज. जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या L.S./1236/Act/2023/1315 दिनांक 24.09.2024 अनुसार उक्त नमूना सबस्टेण्डर्ड पाया गया जिनकी जांच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी ने पत्रावली कागजात पेश करने के बाद श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर ने पत्र क्रमांक /एफएसएसए /2024 /स्वीकृति /एन-2038 /15675-76दिनांक 11.11.2024 के द्वारा आवेदक खाद्यसुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। उक्त केस में विक्रेता 1. मुकेश कुमार पुत्र सत्यनारायण उम्र 27 वर्ष निवासी नई बस्ती रामदेवरा (विक्रेता) मैसर्स रामदेवरा स्टोर, नाचना रोड़ रामदेवरा 2. कैलाश चन्द्र पुत्र मोहन लाल उम्र 48 वर्ष निवासी वार्ड नं. 06 पोकरण मैसर्स चिराग एजेन्सीज, फलसूण्ड रोड़, बस स्टेण्ड के पास पोकरण एवं 3. अशोक भाई नाथा भाई सुखाडिया पुत्र नाथा भाई सुखाडिया उम्र 48 वर्ष निवासी पटेल समाज के पास ईस्वारिया मंडावल विश्वधर जुनागढ गुजरात 362130 मैसर्स श्री राधे डेयरी फर्म एण्ड फूड लिमिटेड 427/428 स्काई व्यू स्वामी नारायण मंदिर के पास सगवाड़ी, वराछा मैन रोड सूरत के द्वारा सबस्टेण्डर्ड घी वास्तु का विक्रय करके खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (11) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को अधिक से अधिक जुर्माना से दण्डित करने की कृपा करें जिससे दिन प्रतिदिन दैनिक जीवन में हो रही मिलावट पर अंकुश लग सकें। अप्रार्थी सं. 01 की ओर से प्राप्त जवाब के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है अप्रार्थी ने अप्रार्थी 02 से जिस अवस्था में खाद्य सामग्री घी वास्तु को खरीदा उसी अवस्था में विक्रय हेतु रखा गया था इसमें किसी भी प्रकार की हेराफेरी नहीं की भविष्य में ध्यान रखकर विक्रय करने का संकल्प लिया। भविष्य में ऐसा कोई कृत्य नहीं किया जायेगा जिससे कोई प्रकार की समस्या उत्पन्न हो।

दोनों पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया एवं न्यायालय में हाजीर हुआ है। अवलोकन व अनुशीलन किया गया, व

प्रार्थी की बहस सुनने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि खाद्यसुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट L.S./1236/Act/2023/1315 दिनांक 24.09.2024 अनुसार उक्त नमूना सबस्टेण्डर्ड पाया गया। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत कर बताया कि उसके द्वारा किसी भी प्रकार की हेराफेरी नहीं की गई है और भविष्य में ध्यान रखकर विक्रय करने का संकल्प लिया।

अतः खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 49 के तहत जुर्माने के हेतु मनन किया गया। पत्रावली पर स्पष्ट तथ्य नहीं है कि अप्रार्थी ने कितना व कब से अनुचित लाभ कमाया। चूंकि अप्रार्थीगण प्रथम बार दोषी पाए गए हैं उसको मध्य-नजर रखते हुए न्यायहित में शास्ति आरोपित की जाती है एवं भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहो इसकी भी चेतावनी दी जाती है। अप्रार्थीगण द्वारा कारित दोषपूर्ण कृत्य की गम्भीरता तथा इसके आमजन के स्वास्थ्य पर पडने वाले नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए हमारे विनम्र अभिमत में प्रकरण में अधिकतम विहित शास्ति अधिरोपित किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा, जिसे अप्रार्थी संख्या 01 से 03 पर संयुक्त रूप से राशी 25000/- अक्षरे पच्चीस हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है।

साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। अप्रार्थीगणों द्वारा यदि उक्त निर्णय दिनांक के एक माह पश्चात् यानि निश्चित समयावधि में शास्ति शुल्क जमा नहीं करवाया जाता है तो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत उनके लाईसेन्स को निलम्बित कर भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली की कार्यवाही की जावें।

निर्णय आज दिनांक 11.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(प्रसा राम)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जैसलमेर
दिनांक 13/6/25

क्रमांक:कोर्ट / 2025 / 826-30

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. मुख्य जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर
2. श्री प्रवीण चौधरी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर।
3. श्री मुकेश कुमार पुत्र सत्यनारायण उम्र 27 वर्ष निवासी नई बस्ती रामदेवरा मैसर्स रामदेवरा स्टोर, नाचना रोड रामदेवरा। मो. 9767370786
4. श्री कैलाश चन्द्र पुत्र मोहन लाल उम्र 48 वर्ष निवासी वार्ड नं. 06 पोकरण मैसर्स विराग एजेन्सीज, फलरूण्ड रोड, बस स्टेण्ड के पास पोकरण। 9413012729
5. श्री अशोक भाई नाथा भाई सुखाडिया पुत्र नाथा भाई सुखाडिया उम्र 48 वर्ष निवासी पटेल समाज के पास ईस्वारिया मंडावल विश्वधर जुनागढ गुजरात 362130 मैसर्स श्री राधे डेयरी फर्म एण्ड फूड लिमिटेड 427/428 स्काई ब्यू स्वामी नारायण मंदिर के पास सगवाडी, वराधा नैन रोड सूरत। 395006


न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जैसलमेर